धारा 6–ए प्रकरण सं0 67/2016 सरकार बनाम 1–पवनकुमार, पुत्र अनिल कुमार उम्र 26 वर्ष जाति अग्रवाल निवासी 5 आवासीय कॉलोनी रावला मण्डी
2–नेमीचंद पुत्र बुधराम बिश्नोई, निवासी रोड़ा, तहसील नोखा, बीकानेर

19.06.2017

1– **पत्रावली पेश** हुई। विभागीय प्रतिनिधि सुरेशकुमार प्रवर्तन निरीक्षक उपस्थित है। अप्रार्थीगण के अभिभाषक श्री नवीन पारीक उपस्थित है। विभागीय प्रतिनिधि द्वारा वाहन का मूल्य प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। दोनो पक्षो की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

Web Copy - Not Official

2– **विभागीय प्रतिनिधि** का कथन है कि दिनांक 26.06.2016 को जिला रसद अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, घडसाना के निर्देश पर श्री राकेश सोनी एवं सुरेश कुमार, प्रवर्तन निरीक्षक, रायसिंहनगर रावला मण्डी के पास रोजडी रोड़ पर चक 2 पीएम ग्राम पंचायत 9 पीएसडी जांच हेतु पहुचें तो मौके पर ट्रक यूनियन रावला के सदस्यों द्वारा एक 12 टायर वाला ट्रक न0 आरजे–21–जीए–7392 गेंहू से भरा बीकानेर की तरफ मुंह किये सड़क किनारे कच्चे में फंसा हुआ रोका हुआ था। मौके पर उपस्थित ट्रक युनियन रावला के सदस्य श्री महावीर प्रसाद एवं रिछपाल व बिट्टू द्वारा बताया गया कि दिनांक 25.06.2016 की रात्री लगभग 12 बजे पर वे ट्रक यूनियन सदस्य रावला हनुमान धर्म कांटा राजडी रोड़ पर खडे थें। इसी दौरान एक 12 टायर वाला ट्रक न0 आरजे–21–जीए–7392 धर्मकांटा पर तुलने के लिये आया। वरवक्त ट्रक चालक व सहायक उपस्थित थे जिनसे ट्रक में लोडेड माल बाबत जानकारी चाही गई। इसी दौरान मौके पर रखे माल के तथा धर्मकांटा के मालिक पवनकुमार मौके पर आया तथा ट्रक ड्राइवर को मोके से भाग जाने को कहा। उक्त ट्रक रावला ट्रक यूनियन मे रजिस्टर्ड नही होने से महावीर प्रसाद व उसके साथियों द्वारा उक्त ट्रक का पीछा करके चक 2 पीएम क्षेत्र में बोलेरो गाडी से ओवरटेक करके रूकवाया। इसी दौरान यह ट्रक सड़क के किनारे कच्चे में धस गया तथा ट्रक के चालक व सहायक मौके पर ट्रक छोड़कर फरार हो गये। उनके द्वारा अगले दिन सुबह खेतो से ट्रक चालक व सहायक को पकड़ कर लाया गया। ट्रक यूनियन के पदाधिकारियों तथा गाडी में लोडेड माल के संबध मे पूछताछ की गयी। श्री महावीर प्रसाद के अनुसार चालक नेमीचंद द्वारा पूछने पर कृषि उपज मण्डी समिति रावला मण्डी का एक निर्यात प्रतिवेदन पुस्तक संख्या 340 कंमाक 52 जो कि दिनांक 27.06.2016 का पाया इसमें 600 कट्टा गेंहू का जिक है, इसके साथ एक वेट इन्वाईस मैसर्स हनुमान ट्रेडर्स रावला धान मण्डी का 2075 दिनांक 27.06.2016 का पाया जिसमें 600 कट्टा कुल वजन 307 क्विं. जो कि 1750 रूपये प्रति क्विं. की दर से कुल राशि 5,37,145 रूपये का है। वेट इन्वाईस श्री ओम प्राईम फूड प्रा. लि. बीकानेर के नाम से पाया गया। उक्त दोनो दस्तावेज महावीर प्रसाद द्वारा अपने कब्जें में लिये गये थे जो कि वक्त जाचं प्रवर्तन अधिकारी को वास्ते जांच उपलब्ध करवाये। इसके साथ ही महावीर प्रसाद ने पूगल कय विकय सहकारी समिति लिमेटेड के कमांक 5917, 5916, 5915 कुल तीनो सेटो में छः चालान उपलब्ध करवाये गये। महवीर प्रसाद द्वारा सभी चालान ट्रक से उपलब्ध होना बताया।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

3– **उनका आगे** कथन था कि मैसर्स हनुमान ट्रेडर्स के मालिक श्री पवन मितल को मौके पर बुलाया गया। उनके एवं ट्रक यूनियन सदस्यों के सामने ट्रक में रखे लोडेड माल को देखा गया जिसमें समस्त कट्टे भारतीय खादय निगम मार्का के होने पाये गये। उक्त बरामद कट्टों में से तीन कट्टों को छोडकर शेष सभी कट्टो पर हाथ से सिलाई लगाना पाया गया। प्रथम दृष्टयता प्रतीत होने पर कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कट्टों की मशीनी सिलाई बदली गयी है। मौके पर पूगल कय विकय सहकारी समिति के द्वारा उचित मूल्य दुकानदारो को पहुंच के तौर पर भेजे जाने वाले तीन चालान (पंहुच रसीद) भी जांचकर्ताओ को उपलब्ध करवाये गये जिनमें गेंहू की कुल मात्रा 209 क्विं. दर्ज है तथा यह चालान दिनांक 25.06.2016 को ही काटे गये है जिन्हें कय विकय सहकारी समिति पूगल (बीकानेर) में जमा करवाया जाना था जबकि यह चालान इसी ट्रक में पाये गये। चालानो पर उक्त ट्रक का आरजे–21–जीए–7392 एवं चालक का नाम भी नेमीचंद ही दर्ज होना पाया गया। मौके पर महावीर प्रसाद द्वारा चालक से कब्जे में लिये अन्य दस्तावेज प्राप्त किये जिनमें कृषि उपज मण्डी समिति रावला के निर्यात प्रतिवेदन तथा वेट इन्वाईस में दिनांक 27.06.2016 दर्ज है जबकि घटना दिनांक 26.06.2016 तथा मध्य रात्री दिनांक 25.06.2016 की है। उक्त तथ्यों के मध्यनजर यह पूरा प्रकरण संदिग्ध प्रतीत होने पर रहा है एवं श्री पवन कुमार द्वारा मौके पर इस गेंहू के संबध में कोई भी संतोषजनक जवाब नही दिया गया। मौका परिस्थिति के अनुसार उक्त गेंहू सार्वजनिक वितरण का होने की आंशका है। जांच के दौरान उक्त गाडी के चालक को बार–बार मोबाईल पर यूनियन के सदस्यों द्वारा सूचित करने पर भी उसके नही आना एवं ट्रक रात्री को दिनांक 25.06.2016 को ही रावला मण्डी से रवाना होना बताया जबकि उसी दिनांक 25.06.2016 को पूगल से खाजूवाला क्षेत्र के विभिन्न उचित मूल्य दुकानदारो को गेंहू की सप्लाई कर रावला की तरफ आना एवं यहां से रात्री में ही गेंहू भरकार बीकानेर के लिये तिरपाल लगाकर भारतीय खादय निगम मार्का वाले कट्टो में हाथ से सिलाई करके वापस उसी रात्री को बीकानेर की तरफ वापस जाना। उक्त समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते मौके पर गेंहू मय बारदाना, तिरपाल तथा ट्रक सीज किया गया।

4– **उनका आगे** यह भी कथन था कि चूंकि ट्रक रात को चालक द्वारा भगा कर ले जाया गया जो कि रोजडी रोड़ के रोपी क्षेत्र में कच्चें में फसा हुआ था, इस कारण ट्रक यूनियन सदस्य महावीर प्रसाद द्वारा ट्रक यूनियन से दूसरा ट्रक मंगवाया गया। नये ट्रक में ट्रक न0 आरजे–21–जीए–7392 में रखे गेंहू के कट्टे स्थानांतरित किये गये तथा गिनती पर इनकी संख्या 601 होना पाया। समस्त कट्टो का धर्मकांटा पर मय बारदाना वजन किया गया तथा वजन बारदाना घटाने के उपरान्त सीजसुदा गेंहू का कुल वंजन 304 क्विं. होना पाया गया। उक्त सीजशुदा गेंहू 304 क्विं. मय बारदाना तथा तिरपाल श्री वेदप्रकाश बिश्नोई पुत्र श्री पृथ्वीराज बिश्नोई उम्र 48 वर्ष जाति बिश्नोई रावला मण्डी हाल प्रभारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली व कैशियर कय विकय सहकारी समिति लिमिटेड रावला की सुपुर्दगी में दिया गया तथा सीजशुदा ट्रक न0 आरजे–21–जीए–7392 (12 टायर) श्री महावीर प्रसाद पुत्र श्री जगदीश प्रसाद जाति बिश्नोई उम्र 35 वर्ष निवासी चक 7 डीओएल तहसील घडसाना की सुपुर्दगी में दिया गया। अप्रार्थीगण के विरूद्ध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत पुलिस थाना रावला में दिनांक 13.07.2016 को एफआईआर सं. 139/2016 भी दर्ज करवाई गई है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

5– **इस प्रकार** आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जारी आदेश राज0 खाद्यान एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के अनुच्छेद 3 के बिन्दु सं0 2 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्य करने हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता होती है, का अप्रार्थीगण द्वारा स्पष्ट उल्लंघन किया है। इसलिए उक्त जब्तशुदा उक्त 304 क्विं. गेंहू मय बारदाना एवं तिरपाल व ट्रक न0 आरजे–21–जीऐ–7392 को धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत राजसात किया जावे।

6– **उनका** आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थीगण के विरूद्ध एफआईआर संख्या 139/2016 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम दर्ज है। इसलिए धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम की कार्यवाही व धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम की अलग–2 स्वतन्त्र कार्यवाहीयां है जो समान रूप से अलग–2 न्यायालयो में चल सकती है। संबंधित पुलिस थाना रावला द्वारा प्रस्तुत एफ.आर. पर विभाग द्वारा मुख्य न्यायिक मजि0 श्रीगंगानगर के न्यायालय में विरोध दर्ज करवाया गया है और न्यायालय द्वारा अभी तक एफ. आर. स्वीकार नही की गयी है। इसलिए अप्रार्थीगण एफ.आर. का कोई लाभ लेने के हकदार नही है।

7– **उनका** यह भी कथन है कि **माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2009 डीएनजे (एससी) पेज 340** के अनुसार वाहन राजसात करने की दशा में वाहन के एवज में वाहन के बाजार भाव तक जुर्माना लगाया जा सकता है। अतः बाजार मूल्य अनुसार जुर्माना लगाया जावे जो अदा करने पर ही वाहन स्वामी को वाहन लौटाया जा सकता है।

8– **इसके विपरीत अप्रार्थी सं0 2**–नेमीचंद के अभिभाषक का कथन है कि नेमीचंद ट्रक न0 आरजे 21जीए 7392 का स्वामी है और चालक भी है। उक्त ट्रक से वह माल सप्लाई करता है और किराया वसूल करता है। हनुमान ट्रेडर्स नई धान मण्डी रावला ने अप्रार्थी को 600 कट्टा गेहूं किराये पर बीकानेर भेजने का निवेदन किया, जिसे उसने स्वीकार कर लिया और अप्रार्थी ने हनुमान ट्रेडर्स नई मण्डी रावला से 600 कट्टे गेहू ओम प्राईम फूड प्रा0लि0 बीकानेर को स्पलाई करना था जिसका इनवाईस न0 2675 दिनांक 27.06.16 हनुमान ट्रेडर्स नई धानमण्डी रावला द्वारा दिया गया जो उसने पेश किया है तथा इस गेहूं का कृषि उपज मण्डी समिति रावला से प्राप्त किया गया निर्यात प्रतिवेदन भी पेश किया है। अप्रार्थी को केवल किराया लेकर गेहूं गन्तव्य स्थान पर पहुंचाना था और इन 600 कटटा गेहूं को बीकानेर ले जा रहा था तो उसे रास्ते में रोक लिया गया और गेहूं जब्त किया गया। जबकि उसके द्वारा लोड़ माल के बारे में पूछने पर पुस्तक संख्या 340 एवं कमांके 52 दिनांक 27.06.16 का है जिसमें 600 कटटा गेहूं का जिक्र है तथा इसके साथ वेट इनवाईस 2675 दिनांक 27.06.16 मैसर्स हनुमान ट्रेडर्स नई धानमण्डी रावला का मौके पर दिखा दिया था और मैसर्स हनुमान ट्रेडर्स नई धानमण्डी रावला के पास गेहूं कहां से आया इसकी जानकारी उसे नही है।

9– **उनका आगे यह** भी कथन था कि उसके विरूद्ध धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत एवं धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा गलत रूप से बनाया गया है उक्त धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रकरण में पुलिस द्वारा एफ. आर. न0 240/

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

16.12.16 न्यायालय में प्रस्तुत की जा चुकी है। इस प्रकार उसके द्वारा किसी प्रकार से आवश्यक अधिनियम के प्रावधानो की उल्लंघन नही की गयी है। इसलिए उसके विरूद्ध कार्यवाही समाप्त की जावे और जब्त शुदा वाहन वापिस लौटाया जावे।

10– **अप्रार्थी** सं0 1 पवनकुमार की ओर से उनके अभिभाषक का कथन था कि परिवहन किया जा रहा गेहूं अप्रार्थी फर्म का खरीद शुदा गेहूं था और उक्त गेहूं किसी प्रकार से उचित मूल्य की दुकानो के विक्रय हेतु नही था। रावला क्षेत्र में ट्रक यूनियन व व्यापारियों के मध्य विवाद चल रहा हैं और अप्रार्थी की फर्म रावला में रजिस्टर्ड आढ़त का कार्य करती है उसी क्रम में खरीद किया गया गेहूं विक्रय किये जाने की प्रक्रिया में विक्रेता को सप्लाई दिये जाने हेतु परिवहन किया जाना था। ट्रक यूनियन से अप्रार्थी नेमीचंद का संबंध न होने के कारण ट्रक चालक के साथ झगड़ा व मारपीट की और अपने राजनैतिक दबाब से कपटपूर्वक साक्ष्य गढ़ते हुए रसद विभाग से अप्रार्थीगण को नुकसान व तंग परेशान करने की नीयत से गलत कार्यवाही करवाई गई है। इसलिए धारा 6ए की कार्यवाही समाप्त की जावे। उनका आगे यह भी कथन है कि केवलमात्र इस आशंका के आधार पर कि जब्त शुदा गेहूं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सप्लाई किये जाने वाला गेहू है। इसी आधार पर एफआईआर सं0 139/13.07.16 पुलिस थाना रावला में दर्ज करवाई गई है और जिसमें बाद अनुसंधान एफ.आर. न. 240 अदमबकू (गलत फहमी) में प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस द्वारा दी जा चुकी है जो अभी तक न्यायालय से स्वीकार होना शेष है। इसलिए कार्यवाही समाप्त की जावे।

11– **मैने दोनो पक्षो** की बहस पर मनन किया एवं **अप्रार्थी सं0 2 नेमचंद के लिखित जबाब दिनांक 16.08.16 एवं अप्रार्थी सं0 1 पवनकुमार का जबाब दिनांक 06.03.2017** एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 26.06.2016 को जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर एवं उपखण्ड अधिकारी, घडसाना के निर्देश पर श्री राकेश सोनी प्रवर्तन अधिकारी एवं सुरेश कुमार, प्रवर्तन निरीक्षक रायसिंहनगर, रावला मण्डी के पास रोजडी रोड़ पर चक 2 पीएम ग्राम पंचायत 9 पीएसडी जांच हेतु पहुचें तो मौके पर ट्रक यूनियन रावला के सदस्यों द्वारा एक 12 टायर वाला ट्रक न0 आरजे–21–जीए–7392 गेंहू से भरा बीकानेर की तरफ मुंह किये सड़क किनारे कच्चे में फंसा हुआ रोका हुआ था और मौके पर उपस्थित ट्रक युनियन रावला के सदस्य श्री महावीर प्रसाद एवं रिछपाल व बिट्टू द्वारा बताया गया कि दिनांक 25.06.2016 की रात्री लगभग 12 बजे पर वे ट्रक यूनियन सदस्य रावला हनुमान धर्म कांटा राजडी रोड़ पर खडे थे। इसी दौरान एक 12 टायर वाला ट्रक न0 आरजे–21–जीए–7392 धर्मकांटा पर तुलने के लिये आया। वरवक्त ट्रक चालक व सहायक उपस्थित थे जिनसे ट्रक में लोडेड माल बाबत जानकारी चाही गई। इसी दौरान मौके पर रखे माल के तथा धर्मकांटा के मालिक पवनकुमार मौके पर आया तथा ट्रक ड्राइवर को मोके से भाग जाने को कहा। उक्त ट्रक रावला ट्रक यूनियन मे रजिस्टर्ड नही होने से महावीर प्रसाद व उसके साथियों द्वारा उक्त ट्रक का पीछा करके चक 2 पीएम क्षेत्र में बोलेरो गाडी से ओवरटेक करके रूकवाया। इसी दौरान यह ट्रक सड़क के किनारे कच्चे में धस गया तथा ट्रक के चालक व सहायक मौके पर ट्रक छोड़कर फरार हो गये। उनके द्वारा अगले दिन सुबह खेतो से ट्रक चालक व सहायक को पकड़ कर लाया गया। ट्रक

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

यूनियन के पदाधिकारियों तथा गाडी में लोडेड माल के संबध मे पूछताछ की गयी। श्री महावीर प्रसाद के अनुसार **चालक नेमीचंद द्वारा पूछने** पर कृषि उपज मण्डी समिति रावला **मण्डी का एक निर्यात प्रतिवेदन पुस्तक संख्या 340 एवं कंमाक 52 जो कि दिनांक 27.06.2016** का पाया इसमें 600 कट्टा गेंहू का जिक्र है, इसके साथ एक वेट इन्वाईस मैसर्स हनुमान ट्रेडर्स रावला धान मण्डी का 2075 दिनांक 27.06.2016 का पाया जिसमें 600 कट्टा कुल वजन 307 क्विं. जो कि 1750 रूपये प्रति क्विं. की दर से कुल राशि 5,37,145 रूपये का है। वेट **इन्वाईस श्री ओम प्राईम फूड प्रा. लि. बीकानेर** के नाम से पाया गया। उक्त दोनो दस्तावेज महावीर प्रसाद द्वारा अपने कब्जे में लिये गये थे जो कि वक्त जाचं प्रवर्तन अधिकारी को वास्ते जांच उपलब्ध करवाये। इसके साथ ही **महावीर प्रसाद ने पूगल कय विकय सहकारी समिति लिमेटेड के कमांक 5917, 5916, 5915 कुल तीनो सेटो में छः चालान उपलब्ध करवाये गये। महवीर प्रसाद द्वारा सभी चालान ट्रक से उपलब्ध होना बताया।** मैसर्स हनुमान ट्रेडर्स के **मालिक श्री पवन मितल** को मौके पर बुलाया गया। उनके एवं ट्रक यूनियन सदस्यों के सामने ट्रक में रखे लोडेड माल को देखा गया जिसमें **समस्त कट्टे भारतीय खादय निगम मार्का के होनें पाये गये।** उक्त बरामद कट्टों में से **तीन कट्टों को छोडकर शेष सभी कट्टो पर हाथ से सिलाई लगाना पाया गया।** प्रथम दृष्टया प्रतीत होने पर कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कट्टों की मशीनी सिलाई बदली गयी है और मौके पर पूगल कय विकय सहकारी समिति के द्वारा उचित मूल्य दुकानदारो को पहुंच के तौर पर भेजे जाने वाले तीन चालान (पंहुच रसीद) भी जांचकर्ताओ को उपलब्ध करवाये गये जिनमें गेंहू की कुल मात्रा 209 क्विं. दर्ज है तथा यह चालान दिनांक **25.06.2016** को ही काटे गये है जिन्हें कय विकय सहकारी **समिति पूगल (बीकानेर) में जमा करवाया जाना था** जबकि यह चालान इसी ट्रक में पाये गये। **चालानो पर उक्त ट्रक का न0 आरजे–21–जीए–7392 एवं चालक का नाम भी नेमीचंद ही दर्ज होना पाया** गया। मौके पर महावीर प्रसाद द्वारा चालक से कब्जें में लिये अन्य दस्तावेज प्राप्त किये जिनमें **कृषि उपज मण्डी समिति रावला के निर्यात प्रतिवेदन तथा वेट इन्वाईस में दिनांक 27.06.2016 दर्ज है जबकि घटना दिनांक 26.06.2016 तथा मध्य रात्री दिनांक 25.06.2016 की है।** उक्त तथ्यों के मध्यनजर यह पूरा प्रकरण संदिग्ध प्रतीत होने पर एवं श्री पवन कुमार द्वारा मौके पर इस गेंहू के संबध में कोई भी संतोषजनक जवाब नही दिया गया। मौका परिस्थिति के अनुसार उक्त गेंहू सार्वजनिक वितरण का होने की आंशका है। जांच के दौरान उक्त गाडी के चालक को बार–बार मोबाईल पर यूनियन के सदस्यों द्वारा सूचित करने पर भी उसके नही आना एवं ट्रक रात्री को दिनांक 25.06.2016 को ही रावला मण्डी से रवाना होना बताया जबकि उसी दिनांक 25.06.2016 को खाजूवाला के विभिन्न उचित मूल्य दुकानदारो को गेंहू की सप्लाई कर रावला की तरफ आना एवं यहां से रात्री में ही गेंहू भरकार बीकानेर के लिये तिरपाल लगाकर भारतीय खादय निगम मार्का वाले कट्टो में हाथ से सिलाई करके वापस उसी रात्री को बीकानेर की तरफ वापस जाना। उक्त समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते मौके पर गेंहू मय बारदाना, तिरपाल तथा ट्रक सीज किया गया। ट्रक रात को ही चालक भगा कर ले गया जो कि रोजडी रोड़ के रोपी क्षेत्र में कच्चें में फसा हुआ था, **इस कारण ट्रक यूनियन सदस्य महावीर प्रसाद द्वारा ट्रक यूनियन से दूसरा ट्रक मंगवाया** गया। नये ट्रक में ट्रक न0 आरजे–21–जीए–7392 में रखे गेंहू के कट्टे स्थानांतरित किये गये तथा गिनती पर इनकी संख्या 601 होनी पाई गई।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

समस्त कट्टो का धर्मकांटा पर मय बारदाना वजन किया गया तथा वजन बारदाना घटाने के उपरान्त सीजसुदा गेंहू का कुल वजन 304 क्विं. होना पाया गया। उक्त सीजशुदा गेंहू 304 क्विं. मय बारदाना तथा तिरपाल श्री वेदप्रकाश बिश्नोई पुत्र श्री पृथ्वीराज बिश्नोई उम्र 48 वर्ष जाति बिश्नोई रावला मण्डी हाल प्रभारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली व कैशियर क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड रावला की सुपुर्दगी में दिया गया तथा सीजशुदा ट्रक न0 आरजे–21–जीए–7392 (12 टायर) श्री महावीर प्रसाद पुत्र श्री जगदीश प्रसाद जाति बिश्नोई उम्र 35 वर्ष निवासी चक 7 डीओएल तहसील घडसाना की सुपुर्दगी में दिया गया। अप्रार्थीगण के विरूद्ध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत पुलिस थाना रावला में दिनांक 13.07.2016 को एफआईआर सं. 139/2016 भी दर्ज करवाई गई है।

12– **इस प्रकार** आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जारी आदेश राज0 खाद्यान एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के अनुच्छेद 3 के बिन्दु सं0 2 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्य करने हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता होती है, का अप्रार्थीगण द्वारा स्पष्ट उल्लंघन किया है। इसलिए उक्त जब्तशुदा उक्त 304 क्विं. गेंहू मय बारदाना एवं तिरपाल व ट्रक न0 आरजे–21–जीऐ–7392 को धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत राजसात किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

13– **आवश्यक** वस्तु अधिनियम की धारा 14 के अनुसार इस तथ्य का भार अप्रार्थीगण पर ही था कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत बने किसी भी नियम/अधिनियम की उनके द्धारा अवहेलना नही की है।

**आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 निम्न प्रकार से है:–**

> **"जहां कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन किये गये किसी ऐसे आदेश का उल्लंघन करने के लिए अभियोजित किया जाता है उसे विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना अथवा किसी अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज के बिना कोई कार्य करने से या किसी चीज को कब्जे में रखने से प्रतिषिद्ध करता है, वहां यह साबित करने का भार कि उसके पास ऐसा प्राधिकार, अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज है उसी पर होगा।"**

14– **अप्रार्थी** नेमीचंद ने अपने जबाब दिनांक 16.08.2016 व अप्रार्थी पवन कुमार ने अपने जबाब 06.03.17 के साथ प्रस्तुत कृषि उपज मण्डी समिति रावला के निर्यात कर्ताओ द्वारा प्रस्तुत करने हेतु जारी निर्यात प्रतिवेदन पुस्तक संख्या 340 कमांक 52 दिनांक 27.06.16 जो हनुमान ट्रेडर्स के नाम 600 कटटे का बीकानेर के लिए 307 क्विन्टल का जारी है एवं वेट इनवाईस सं0 2675 दिनांक 27.06.16 का हनुमान ट्रेडर्स द्वारा श्रीओम प्राईम फूड प्रा0लि0 बीकानेर के नाम से 600 नग का प्रस्तुत किया है व पुलिस थाना रावला द्वारा धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम की एफआईआर में प्रस्तुत एफ.आर. कमांक 240 दिनांक 16.12.16 के आधार पर कार्यवाही समाप्त करने की प्रार्थना की है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

15– **रसद विभाग** द्वारा प्रस्तुत धारा 6ए प्रार्थना पत्र एवं साथ में सलंग्न दस्तावेजात के अवलोकन से पाया कि मामले से संबंधित घटना दिनांक 25.06.16 की मध्य रात्रि व 26.06.16 की है। दिनांक 26.06.16 को जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर व उपखण्ड अधिकारी घड़साना के निर्देश पर रसद विभाग के संबंधित सक्षम प्रवर्तन अधिकारी श्री राकेश सोनी द्वारा श्री सुरेशकुमार प्रवर्तन निरीक्षक के साथ चक 2 पी.एम. में मौके पर जाकर जांच की गई तो दौराने जांच ट्रक संख्या आरजे 21जीए 7392 में 601 कटटे गेहूं वजन 304 क्विन्टल सहित जब्त किया गया और ट्रक यूनियन रावला के सदस्य श्री महावीर प्रसाद के अनुसार चालक नेमीचंद द्वारा पूछने पर कृषि उपज मण्डी समिति रावला मण्डी का निर्यात प्रतिवेदन पुस्तक संख्या 340 क्रमांक 52 दिनांक 27.06.16, वेट इनवाईस मैसर्स हनुमान ट्रेडर्स रावला धानमण्डी का बिल सं0 2075 दिनांक 27.06.16 के पाये गये जिनमें 600 कटटा कुल वजन 307 क्विं0 जो कि 1750 रूपये प्रति क्विं. की दर से कुल राशि 5,37,145रूपये के है और साथ ही बिल सं0 5917, 5916, 5915 दिनांक 25.06.16 पुगल क्रय विक्रय सहकारी समिति के तीन सैटो में 6 चालान उपलब्ध करवाये गये।

16–**चूंकि अप्रार्थीगण** द्वारा दिनांक 27.06.16 के जिन उक्त बिलो के आधार पर कार्यवाही समाप्त करने की प्रार्थना की है ये समस्त 27.06.16 के बिल रसद विभाग के संबंधित जांच अधिकारी को दिनांक 26.06.16 को ही जब्त किये गये है। इस प्रकार दिनांक 27.06.16 के उक्त एडवांस बिल दिनांक 26.6.16 को जांच के दौरान बरामद किये गये है जिससे अप्रार्थीगण की बदनियती प्रतीत होती है और उक्त बिल किसी प्रकार से विश्वसनीय नही कहे जा सकते है और अप्रार्थीगण दिनांक 27.06.16 के काटे उक्त एडवांस बिलो के आधार पर राहत प्राप्त करने के हकदार नही है।

17–**जहां तक** अप्रार्थीगण का यह तर्क कि उनके विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के मामले में एफ.आर. दी जा चुकी है के आधार पर कार्यवाही समाप्त की जावे। चूंकि मुख्य न्यायिक मजि0 श्रीगंगानगर के न्यायालय में रसद विभाग द्वारा एफ.आर. के विरूद्ध पेटीशन पेश कर रखी है और न्यायालय द्वारा अभी तक उक्त एफ.आर. पर कोई निर्णय नही किया गया है जब तक सक्षम न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही समाप्त नही कर दी जाती, तब तक अप्रार्थीगण धारा 6ए के इस प्रकरण किसी प्रकार की कोई राहत पाने के हकदार नही है। दोनो ही न्यायालय अपनी–2 कार्यवाही करने के लिए स्वतन्त्र है।

18–**उक्त ट्रक** में बरामद कट्टो में से 3 कट्टे मशीन की सिलाई किये हुए है और शेष सभी कट्टो पर हाथ से सिलाई पाई गई और गेहूं के सभी कटटे वर्ष 2014–15 खरीद मार्का के थे इस पर क्रय विक्रय सहकारी समिति रावला के कार्यकर्ता श्री वेदप्रकाश बिश्नोई के अनुसार अभी वर्तमान में पिछले 2–3 माह से भारतीय खाद्य निगम द्वारा सार्वजनिक वितरण के लिए वर्ष 2014–15 के कटटे उपलब्ध करवाये जा रहे है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

19— चूंकि उक्त जब्त शुदा 601 कट्टे जो वर्ष 2014—15 भारतीय खाद्य निगम के है और उनमें 3 कट्टो पर मशीन की सिलाई की हुई है। भारतीय खाद्य निगम केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली का गेहूं सिलाई किये हुए कटटो में ही संबंधित उचित मूल्य के दुकानदारो को उपलब्ध करवाता है जिससे स्पष्ट है कि उक्त 601 कट्टो का गेहूं सार्वजनिक वितरण प्रणाली का ही था और जिसे बाद में अप्रार्थीगण द्वारा अवैद्य कारोबार के लिए 3 कट्टो को छोड़कर शेष कट्टो की मशीन सिलाई उधेड कर हाथ की सिलाई में परिवर्तित किया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गेहूं के विक्रय के लिए अप्रार्थीगण के पास राज0 खाद्यान एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के अनुच्छेद 3(2) के तहत कोई प्राधिकार पत्र नही है। इसलिए आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत उक्त जब्त शुदा 601 कटटा गेहूं एवं वाहन संख्या आरजे 21जीए 7392 राजसात करने योग्य ठहरते है।

20— अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थीगण से जब्त शुदा 304 क्वि0 गेहूं मय वारदाना, तिरपाल एवं ट्रक नम्बर आरजे—जीए—7392 का राजसात करने का आदेश दिया जाता है। **माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक निर्णय 2009 डीएनजे (एससी) पेज 340 कलक्टर गन्जम बनाम रमेशचन्द्र पाण्डे में पारित निर्णय दिनांक 6—2—2009** के अनुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत जब्त किये गये वाहन की एवज में वाहन के बाजार मूल्य तक जुर्माना लगाया जा सकता है। विभागीय प्रतिनिधि द्धारा जब्त शुद्धा उक्त वाहन ट्रक नम्बर आरजे—जीए—7392 का अनुमानित बाजार मूल्य 5,30,000रूपये (अखरे पांच लाख तीस हजार रूपये) बताया गया है। चूंकि अप्रार्थी सं0 2 का वाहन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गेहूं की कालाबाजारी में लिप्त होना पाया गया है। इसलिए राजसात किये गये वाहन की एवज में 4,00,000रूपये (अखरे चार लाख रूपये) जुर्माना लगाया जाता है। यह जुर्माना राशि राजसात की गई उक्त गेहूं की राशि के अतिरिक्त है। यदि वाहन मालिक उक्त जुर्माना राशि 4,00,000रूपये अदा कर दे तो उक्त राजसात किया गया वाहन उसे नियमानुसार सौंप दिया जावे। यदि वाहन मालिक द्धारा जुर्माना राशि जमा नही करवाई जाती है तो जिला रसद अधिकारी को आदेश दिये जाते है कि वह राजसात किये गये उक्त वाहन का राज्यपक्ष में निस्तारण करवावे। जब्त शुद्धा 304 क्वि0 के अन्तरिम निस्तारण का आदेश सं0 1311 दिनांक 22.07.16 जिला रसद अधिकारी को दिया हुआ है। जिला रसद अधिकारी उक्त 304 क्वि0 गेहूं की विक्रय राशि को अब स्थाई रूप से राज्यपक्ष में राजकोष में जमा करवावे एवं बारदाना तथा तिरपाल का भी नियमानुसार राज्यपक्ष में निस्तारण करवावे। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

1361
28-6-17

21— **यह आदेश** आज दिनांक 19.06.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञा.रा.

( ज्ञाना राम )
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर